रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 924] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2016/चैत्र 29, 1938
No. 924] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2016/CHAITRA 29 , 1938

मंत्रिमंडल सचिवालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 2016

का.आ.1435**(अ)**.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ तेईसवां संशोधन नियम, 2016 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,

(**क**) प्रथम अनुसूची में "13. वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "(iv) विनिवेश विभाग" उप-शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ";

(**ख**) द्वितीय अनुसूची में, "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,-

(i) " क. आर्थिक कार्य विभाग " उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 93 का लोप किया जाएगा ;

(ii) " घ. विनिवेश विभाग " उप-शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप- शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

" घ. निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)

1. (क) साधारण शेयर में केन्द्रीय सरकार के विनिधान के प्रबंध से संबंधित सभी मामले जिसके अंतर्गत केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से साधारण शेयर का विनिवेश भी है।

(ख) पूर्ववर्ती केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में विक्रय के लिए प्रस्ताव के माध्यम से या प्राइवेट नियोजन या अन्य किसी ढंग से केन्द्रीय सरकार के साधारण शेयर के विक्रय से संबंधित सभी मामले।

टिप्पण :- विनिवेश पश्चात अन्य सभी मामले,जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नीतिगत भागीदार द्वारा मांग विकल्प के प्रयोग से उत्पन्न और उससे संबंधित सभी मामले भी हैं, जहां भी आवश्यक हो, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा, निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के परामर्श से, निपटाए जाते रहेंगे।

2. विनिवेश, जिसके अंतर्गत रणनीतिक विनिवेश भी है, के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों, नीति आयोग आदि की सिफारिशों पर विनिश्चय।
3. विनिवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन के लिए स्वतंत्र बाह्य मानीटर (रों) संबंधी सभी मामले ।
4. (क) साधारण शेयर में सरकारी विनिधान जैसे पूंजीगत पुनर्संरचना, बोनस, लाभांश, सरकारी साधारण शेयर का विनिवेश तथा अन्य संबंधित मुद्दों के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम से संबंधित मामलों में विनिश्चय ।
   (ख) केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों की वित्तीय पुनर्संरचना के मामलों में तथा पूंजी बाजार के माध्यम से विनिधान को आकर्षित करने के लिए सरकार को सलाह देना।
5. राष्ट्रीय विनिधान निधि में प्राप्त हुए विनिवेश आगमों के उपयोग की प्रणाली की बाबत में वित्तीय नीति ।
6. भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) संबंधी विषयों सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) ।" ।

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

[फा.सं. 1/21/6/2016-मंत्रि.]

दीप्ति उमाशंकर,संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th April, 2016

S.O.1435(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Twenty Third Amendment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

   (a) in THE FIRST SCHEDULE, under the heading "13. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)", for the sub-heading "(iv) Department of Disinvestment (Vinivesh Vibhag)", the following sub-heading shall be substituted, namely:-

   "(iv) Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) (Nivesh aur Lok Parisampatti Prabandhan Vibhag (DIPAM))";

   (b) in THE SECOND SCHEDULE, under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)",-

      (i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)", entry 93 shall be omitted;

(ii) for sub-heading "D. DEPARTMENT OF DISINVESTMENT (VINIVESH VIBHAG)", and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"D. DEPARTMENT OF INVESTMENT AND PUBLIC ASSET MANAGEMENT (DIPAM) (NIVESH AUR LOK PARISAMPATTI PRABANDHAN VIBHAG (DIPAM))

1 (a) All matters relating to management of Central Government investments in equity including disinvestment of equity in Central Public Sector Undertakings.

(b) All matters relating to sale of Central Government equity through offer for sale or private placement or any other mode in the erstwhile Central Public Sector Undertakings.

Note:- All other post disinvestment matters, including those relating to and arising out of the exercise of Call option by the Strategic Partner in the erstwhile Central Public Sector Undertakings, shall continue to be handled by the administrative Ministry or Department concerned, where necessary, in consultation with the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM).

2. Decisions on the recommendations of Administrative Ministries, NITI Aayog, etc. for disinvestment including strategic disinvestment.

3. All matters related to Independent External Monitor(s) for disinvestment and public asset management.

4(a) Decisions in matters relating to Central Public Sector Undertakings for purposes of Government investment in equity like capital restructuring, bonus, dividends, disinvestment of government equity and other related issues.

(b) Advise the Government in the matters of financial restructuring of Central Public Sector Enterprises and for attracting investment through capital markets.

5. Financial policy in regard to the utilisation of the proceeds of disinvestment channelised into the National Investment Fund.

6. The Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) along with subjects relating to Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI).".

PRANAB MUKHERJEE

PRESIDENT

[F. No. 1/21/6/2016-Cab.]

DEEPTI UMASHANKAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.